हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

बारहवां सत्र

मंगलवार, 01 सितम्बर, 2026/10 भाद्रपद, 1948(शक्)

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए
   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

   दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. **शून्यकाल:**

3. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएगें:**

   (1) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 51वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

   (2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 45(4) के अन्तर्गत डॉ0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखाओं पर तैयार ऑडिट एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(3) **श्री यादविन्दर गोमा, आयुष मन्त्री,** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

4. सदन की समिति के प्रतिवेदन:

श्री राकेश कालिया, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2026-27), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में **जल शक्ति विभाग** के अन्तर्गत **जल जीवन मिशन** की संवीक्षा पर आधारित है;

(2) समिति का **18वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में **पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** की संवीक्षा पर बने समिति के **तृतीय मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

(3) समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्राक्कलन समिति द्वारा **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियन्त्रण, नमूना प्रक्रिया एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन** की संवीक्षा पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है; और

(4) समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) पर बने समिति के **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **महिला एवं बाल विकास विभाग** से सम्बन्धित है।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री विनोद सुल्तानपुरी,** "दिनांक 29 व 30 अगस्त, 2026 को हुई भारी वर्षा से परवाणु व नजदीकी गांव को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(2) **श्री बिक्रम सिंह,** "18 अगस्त, 2026 को बागनाधार, कमरऊ में खनन के दौरान तीन मजदूरों के दबने से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

6. विधेयकों को वापिस लेने बारे प्रस्तावः

(1) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि **भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 23)** को वापिस लिया जाये।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि **भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4)** को वापिस लिया जाये।

7. विधायी कार्यः

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय संबंधी विधियों में संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(2) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(3) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14)	और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(4) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15)	करेंगे कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(5)**श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12)	लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(6) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11)	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

8. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:**

(1) **दिनांक 31.08.2026 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।**

(2) **श्री केवल सिंह पठानिया,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश के जल संसाधनों/जलविद्युत परियोजनाओं से देय रॉयल्टी, फ्री पावर, जल उपकर की बकाया देयताओं (Liabilities) की वसूली तथा राजस्व हितों के संरक्षण हेतु" यह सदन विचार करे।

9. **नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:**

(1) **श्री हरदीप सिंह बावा** "दिनांक 22 अगस्त, 2026 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 4351 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

(2) **श्री बिक्रम सिंह,** "दिनांक 26 अगस्त, 2026 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 4464 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

शिमला-171004 (यशपाल शर्मा)
दिनांक: 31 अगस्त, 2026 सचिव।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)